

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 3526 FP/UK/ROAD/12159/2015 दिनांक: देहरादून

28 जून, 2019

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद-चम्पावत के अर्न्तगत मंच-बकोडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.9208 हे० के सम्बन्ध में।
FP/UK/ROAD/12159/2015

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक
22.11.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है, कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.11.2019 को विध्यांकित प्रकरण पर 10 बिन्दुओं पर सूचनाएं चाही गयी थी। उक्त के क्रम में आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना अपूर्ण है। अतः भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या 01 से 10 (प्रतिलिपि संलग्न) की बिन्दुवार स्पष्ट सूचना आनलाईन फार्म ए के पार्ट I एवं पार्ट II में यथास्थान अपलोड करते हुए हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पूर्ण सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(ए०के० गुप्ता)
वन संरक्षक

सरकार
परिवर्ण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
शालय
राष्ट्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/45/2016/एफ.सी./1761 दिनांक 22.11.2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-जनपद- चम्पावत के अन्तर्गत मंच-बकोडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.9208 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (online no. FP/UK/ROAD/12159/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी जिसकी अनुपालन आख्या राज्य सरकार अपने पत्र दिनांक 28.10.2018 द्वारा प्रस्तुत की है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर भी आवश्यक सूचनायें प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. Regarding point no. 03, density mentioned is 0.6 but rate charged for very dense forest in NPV calculation sheet. Many corrections have been found in NPV calculation sheet. Area mentioned is 7.921 instead of 7.9208.

Action Required:- State Govt. may review and submit correct NPV details.

2. In response of point no. 5, name of CA area mentioned online in Part I & II is 'Hartola' but in CA scheme is mentioned 'Dungrabora'.

Action Required:- State Govt. may correct this discrepancy.

3. Reply of point no. 6 is not found satisfactory.

Action Required:- State Govt. may upload correct details of reply of point no. 6 in online Part I.

4. Regarding point no. 7, original hard copy of tree enumeration list is required.

Action Required:- State Govt. may submit original hard copy of tree list.

5. In reply to point 9, original hard copy of complete proposal is not submitted.

Action Required:- The State Govt. may submit original hard copy of complete proposal.

6. As per DSS report, CA area comes to 9.70 ha instead of 15.6416 ha.

Action Required:- The State Govt. may upload revise KML file and digital map of CA area.

7. In FRA annexure, the Gram Sabha proceedings of village 'Manch' and 'Suntola' are not found.

Action Required:- The State Govt. may submit original hard copy of complete proposal.

8. KML file of CA area proposed shows patch different in shape than in geo-referenced map & SoI toposheet.

Action Required:- State Govt. may upload correct shape of KML file & digital map of CA

9. Employment detail seems incorrect.

Action required:- State Govt. may upload the correct employment details in online Part-I at para-E.

10. Justification for locating the project in forest land is not C/S by DFO.

Action Required:- State Govt. may upload the Justification for locating the project in forest area duly C/S by DFO at Para D (i).

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

कमल प्रीत
(कमल प्रीत)

वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(कमल प्रीत)

वन संरक्षक